न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–348 सन् 2016

राजेश सिंह.....वादी

बनाम

लक्ष्मी नारायण सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 18.01.2022

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गई है। वादी अनुपस्थि है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.12.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 22.05.2018 को वादी की ओर स देवेन्द्र पाण्डेय ने साक्ष्य दिया था। देवेन्द्र पाण्डेय से प्रति परीक्षण के दौरान कुछ बातें प्रति परीक्षण में पूछना छुट गया है जो न्याय के दृष्टि से पूछना अति आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में देवेन्द्र पाण्डेय को पुनः प्रति परीक्षण हेतु रिकॉल करना जरूरी है। अतः निवेदन ह कि देवेन्द्र पाण्डेय साक्षी को प्रति परीक्षण हेतु रिकॉल किया जाए।

वादी की ओर से दिनांक 19.02.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिसमें वादी का कथन है कि प्रतिवादी की ओर से जो आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है। वह पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में कहा है कि देवेन्द्र पाण्डेय के प्रति परीक्षण के दौरान कुछ बातें पूछना छुट गया है जो न्याय के लिए अति आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी अपने आवेदन के पैरा–02 में देवेन्द्र पाण्डेय से

कौन–कौन सी बातें पूछना है जो अपने आवेदन में विवरण नहीं दिया है। इसलिए जबतक प्रतिवादी देवेन्द्र पाण्डेय से क्या–क्या बातें पूछना है। उसका विवरण न्यायालय में दाखिल नहीं करते हैं तब तक उनके आवेदन दिनांक 05.12.2019 पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद में साक्षी देवेन्द्र पाण्डेय से जो सच्चाई अभिलेख पर आ गया है। उसी सच्चाई को समाप्त करने के लिए बेमेल साक्षी देवेन्द्र पाण्डेय से पुनः प्रति परीक्षण करने के लिए गलत बयान के साथ दाखिल किया है जो खारिज होने योग्य है। साक्षी देवेन्द्र पाण्डेय अपने लड़के के पास गुजरात में रहते हैं। इसलिए गुजरात से देवेन्द्र पाण्डेय को बुलाना एक बहुत बड़ी समस्या है। अतः वादी के द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से कई साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है। 5 साक्षियों की साक्ष्य करने के पश्चात् प्रतिवादी पुनः वादी साक्षी सं0 03 देवेन्द्र पाण्डेय का प्रति परीक्षण कराना चाहते हैं। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में कहीं भी नहीं लिखा है कि देवेन्द्र पाण्डेय से पुनः प्रति परोक्षण के दौरान किस प्रकार के तथ्यों को पूछना शेष रह गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए नियमानुकूल आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 22.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।